

# यालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

नं 156/17 तारीख 27-12-17

उजवाण - धर्मसिंह बनाम कविरी कौं  
जाहर खोहरा

दावा वाबत घोषणा खोहरा तकास्मा, स्थायी  
निषेधाज्ञा

घो की ओर से श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट ने  
दावा वाबत घोषणा खोहरा तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा  
तर्जत धारा 53, 88, 188 A तथा के अन्तर्गत पेश किया  
मा बन्दी का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर  
प्रतिवादीगणों जीसे रजिस्टर्ड A व से सम्मान जारी किया  
गया। पचावली दिनांक 29-1-18 को पेश है।

9798-  
8888

29-12-17

जगदीश आर्य  
उपजिला कलक्टर  
टोडाभीम

3 वादी वकील उप. प्रतिवादी नं. 11 कावजूद सूचना उप. नही की  
नके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है प्रतिवादी नं. 1 ल  
के रजि. A सम्मान तलबाना पेश है। अस्त तलामी दिनांक  
3-18 को पेश है।

4 वादी वकील उप. गतानुसार तलामी कएने दि. 3-4-18 को  
पेश है।

5 वादी वकील उप. वादी वकील प्रतिवादी नं. 1 ल. 10 के  
रजि. A सम्मान तलबाना 7 दिन में प्रस्तुत करें। दिनांक  
2-5-18 को पेश है।

दिनांक	फर्द अहकाम
२-५-१८	<p>पत्रावली राज पेश दुई आइन्दा २२.५.१८ को पेश गर्ने</p>
२२-५-१८	<p>पत्रावली पेश दुई। वादी वकील उपस्थित नभै कसैका आवाज दिलावार्ड गर्दै। फिर्मा वादी वकील एवं वादी मे हे कोर्ट मी उपस्थित नभै ले अरु यह दावा अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी मे खारिज भिज जाता हे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से क्रम होकर दाखिल दफ्तर हो</p>